Neutral Citation
2019 : CGHC : 4731–DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माध्यस्थम अपील संख्या 37/2018

मेसर्स स्वेता कंस्ट्रक्शन द्वारा भागीदार राजकुमार अग्रवाल
पिता – स्वर्गीय श्री बाबूलाल अग्रवाल, निवासी– 388 इंदिरा विहार,
टी.पी. नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
कार्यपालक अभियंता (सिविल) डिवीजन–III, एमटीटीपीपी,
मारवा, जिला– जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के लिए– श्री ऋषभ गर्ग, अधिवक्ता
उत्तरवादी के लिए– श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और
माननीय न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर
बोर्ड द्वारा आदेश

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.
7/2/2019

1. सुना गया।

2. वाणिज्यिक न्यायालय ने उत्तरवादी की अपील को स्वीकार करते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाम मेसर्स एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स तथा मेसर्स लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2018) 5 स्केल 103] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दृष्टिकोण में क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय को निरस्त करने की मांग की थी, हम इस प्रकरण को प्रारंभिक चरण में

अंतिम रूप से सुनने और निपटाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसके लिए पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सहमत हैं।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

4. निस्संदेह, पक्षों के बीच अनुबंध छत्तीसगढ़ मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1983 (संक्षेप में "अधिनियम, 1983") के अधीन परिभाषित एक कार्य अनुबंध होगा। ऐसे कार्य अनुबंध से उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही को अधिनियम, 1983 की धारा 7 के अधीन गठित न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

5. मेसर्स एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1983 की प्रयोज्यता और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा न्याय निर्णय प्रक्रिया के बहिष्कार के बारे में उक्त विवाद्यक का निराकरण कर दिया है, अतः प्रकरण अब अनिर्णीत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रकरण के उपरोक्त दृष्टिकोण में, भले ही मध्यस्थ को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उत्तरवादी द्वारा नियुक्त किया गया हो, उक्त मध्यस्थ के पास ऐसे विवाद को सुलझाने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो एक कार्य अनुबंध से उत्पन्न होता है।

7. अतः, वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय को अपास्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ गर्ग मेसर्स एलजी चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय के पैरा 21 का हवाला देते हुए तर्क दे रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जहां अधिनिर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है, अतः यह विवाद्यक अभी भी इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला है।

9. लेकिन मेसर्स लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (पूर्वोक्त) के प्रकरण में बाद के निर्णय के लिए, श्री गर्ग द्वारा उठाई गई दलील पर चर्चा के लिए विचार किया जा सकता था। यद्यपि मेसर्स लॉयन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (पूर्वोक्त) में यह विवाद्यक कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम, 1996") की धारा 34 के अधीन एक आवेदन को आगे बढ़ाने के माध्यम से अधिनियम, 1983 लागू होने वाले प्रकरण में मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति के संबंध में तर्क विचार के लिए आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन में उक्त आपत्ति को उठाने की अनुमति दी थी। अतः, अब तक, सर्वोच्च न्यायालय की राय है कि इस तरह

की आपत्ति धारा 34 के आवेदन के चरण में उठाई जा सकती है, भले ही अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति अधिनियम, 1996 की धारा 16 के चरण में पहले नहीं उठाई गई हो।

10. यदि धारा 34 के अधीन आवेदन के माध्यम से पहली बार आपत्ति उठाने की अनुमति है, तो यह स्पष्ट है कि मेसर्स के प्रकरण में विधि के दृष्टिकोण में ऐसी आपत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। एल.जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पूर्वोक्त)।

11. उपर्युक्त कारणों से, हम वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय को निरस्त करने के निर्णय से पूर्णतः सहमत हैं।

12. इस स्तर पर, श्री गर्ग प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम, 1983 के अधीन गठित न्यायाधिकरण के समक्ष नया आवेदन समय–सीमा द्वारा वर्जित होगा और याचिकाकर्ता को बिना किसी आपत्ति के उत्तरवादी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के बावजूद नुकसान उठाना पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रकरण के इस पहलू पर, हम केवल यह देखते हैं कि अधिनियम, 1983 की धारा 7 के अधीन एक आवेदन पेश करते समय, अपीलकर्ता के लिए सीमा अधिनियम की धारा 14 के अधीन समय विस्तार के लिए याचिका प्रस्तुत करना उचित होगा, यदि विधि में इसकी अनुमति है।

सही /– (प्रशांत कुमार मिश्रा) न्यायाधीश	सही /– (विमला सिंह कपूर) न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।